

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक:- प.6(232)परि/कर/मु./15 / 16900

जयपुर, दिनांक 31-08-2015

कार्यालय आदेश 32/2015

वर्तमान में गैर परिवहन यानों के कर की गणना के लिये राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 की धारा 40 के अंतर्गत निम्न प्रावधान किया गया है।

नियम 40 लागत, कर, ब्याज और शास्ति इत्यादि की संगणना.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन की समस्त संगणनाएं जो,-

- (i) दुपहिया यानों के सम्बन्ध में ऐसी लागत के लिए हों जिसमें एक सौ रुपये का भाग अन्तर्वलित हो, अगले सौ तक पूर्णांकित की जायेगी,
- (ii) दुपहिया यानों से भिन्न यानों के सम्बन्ध में ऐसी लागत के लिए हों जिसमें एक हजार रुपये का भाग अन्तर्वलित हो, अगले हजार तक पूर्णांकित की जायेगी,
- (ii) ऐसे कर, ब्याज, शास्ति और प्रतिदाय इत्यादि के लिए हों जिसमें एक रुपये का भाग अन्तर्वलित हो, अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित की जायेगी।

मुख्यालय के ध्यान में लाया गया है कि कतिपय मामलों में कई जिला परिवहन कार्यालयों व डीलर के द्वारा पंजीकृत किये जा रहे वाहनों के पंजीयन किये जाते समय वाहन की लागत की गणना दुपहिया वाहनों में अगले एक सौ रुपये तक व दुपहिया वाहनों से भिन्न यानों के संबंध में अगले एक हजार रुपये तक पूर्णांकित नहीं की जा रही है। इससे राजस्व के रूप में प्राप्त कर में प्रत्येक वाहन से 50 से 100 रुपये तक की राजस्व हानि हो रही है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि वाहनों के कर की गणना करते समय वाहनों की कीमत को दुपहिया वाहन के लिये अगले सौ रुपये तक एवं दुपहिया वाहनों से भिन्न वाहनों के लिये एक हजार रुपये तक पूर्णांकित की जाकर कर की गणना की जावे।

(गायत्री राठौड़)

परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव

जयपुर, दिनांक 31-08-2015

क्रमांक:- प.6(232)परि/कर/मु./15 / 16901-908

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त।
4. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
5. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
6. श्री संजय सिंघल, एसीपी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र।
8. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (कर)